फर्द अहकाम

...लय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

राज ... बनाम कालाराम वगै.

...ा संख्या /वर्ष : 68 /2015

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
20/9/24	पत्रावली पेश हुई, अधिवक्ता संघ द्वारा कण्डोलेंस / कार्य का बहिष्कार करने पर पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 24/10/24 पेश हो [हस्ताक्षर]	
24/10/24	पत्रावली पेश हुई। P.O. ... कार्य स्थगित पत्रावली पूर्वानुसार मार्फत तलबी/जवाब ... दिनांक 21/11/24 को पेश हो [हस्ताक्षर]	
21/11/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। पत्रावली हस्ब आदेश दिनांक 17/1/25 को पेश हो। [हस्ताक्षर] उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	
17/1/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राज० काश्तकारी अधिनियम को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर वाद को मुताबिक कैफियत के तकासमा हेतु निर्णय किया	

...क आज्ञा ...र्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	पाया गया नक्शा बटवारा कायम किया पाया गया विस्तृत निर्णय पृथक से लिखकर पत्रावली शामिल मिसल किया जाता। निर्णय आज खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली [illegible] [illegible] होकर नकल [illegible] हो बाद बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड ... जमवारामगढ़

(५३)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
68 / 2015	03 / 06 / 2015	17 / 01 / 2025

1. रामू पुत्र रेवड आयु 65 वर्ष जाति माली निवासी खराना तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. कानाराम पुत्र सीताराम
2. रामकिशन पुत्र सीताराम
3. कल्याण पुत्र सीताराम
4. प्रहलाद पुत्र सीताराम
5. पांची देवी पत्नि सीताराम
6. घासी पुत्र रेवड माली
   जाति माली निवासी खराना तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
7. राज0 सरकार जरिए तहसीलदार जमवारामगढ, जयपुर।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभावक
श्री. महेश शर्मा :— वकील वादी।

दावा बाबत बटंवारा, स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा—53, 188 आर0टी0एक्ट

—: निर्णय :—

वादी की ओर से एड0 श्री महेश शर्मा ने यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण इस कथन के साथ पेश किया कि वादग्रस्त भूमि आराजी खसरा नम्बर 123 रकबा 0.2300है0, खसरा नम्बर 169 रकबा 0.2900है0 खसरा नम्बर 341 रकबा 1.8600है0 खसरा नम्बर 385 रकबा 0.5100है0 कुल किता 4 कुल रकबा 2.8900है0 ग्राम खराना, पटवार हल्का खरंकडा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में वादी एवं प्रतिवादीगण के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार सहखातेदार है। जिसे आगे उक्त वादपत्र में वादग्रस्त सम्पत्ति कहा गया है। जिसका विधिक तकासमा नही कराया गया है। अतः उक्त वर्णित वादग्रस्त सम्पत्ति का सरस—नरस के अनुसार हक हिस्से को मध्य नजर रखते हुये तकासमा कर वादी का राजस्व रिकार्ड व लगान अलग अलग कायम किया जावें। प्रकरण में विधिवत सुनवाई करते हुए दिनांक 04.08.2018 को प्राथमिक डिक्री किया गया। जिसकी पालना में तहसीलदार जमवारामगढ ने कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर पेश की। प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर बहस वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी की समझाईश की गई। वकील वादी ने कुर्रेजात स्वीकार करने में सहमति जाहिर की। बहस सुनी जाकर निर्णय किया गया।

पत्रावली का अद्योपान अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार जमवारामगढ के द्वारा प्रस्तुत बटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार जमवारामगढ ने बटवारा हिस्से अनुसार किया। अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

खराना, पटवार हल्का खरकडा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण में स्थित निम्नांकित आराजियात का तकासमा किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मुताबिक बटवारा रिपोर्ट के निम्नानुसार विभाजन किया जाता है। उसी मुताबिक इन्हे खातेदार तन्हा घोषित किया जाता है।

—: वर्तमान जमाबन्दी अनुसार :—

वर्तमान जमाबन्दी अनुसार	आराजी नम्बर	रकबा है0	किस्म	लगान
घासी पुत्र रेवड हि0 1/3 जाति माली सा0देह ~~खातेदार, रामू पुत्र रेवड हि0 1/3 जाति माली~~ सा0देह खातेदार, पांची देवी पत्नि सीताराम हि0 1/10 जाति माली सा0देह खातदेार राहिन हि0 1/24 पीएनबी शाखा खवारानीजी, कानाराम पुत्र सीताराम हि0 7/120 जाति माली सा0देह खातेदार राहिन हि0 1/24 पीएनबी शाखा खवारानीजी, रामकिशन पुत्र सीताराम हि0 7/120 जाति माली सा0देह खातेदार राहिन हि0 1/24 पीएनबी शाखा खवारानीजी, कल्याण पुत्र सीताराम हि0 7/120 जाति माली सा0देह खातेदार राहिन 1/24 पीएनबी शाखा खवारानीजी, नाबा0 प्रहलाद पुत्र सीताराम नाबा0 संरक्षक पांची देवी पत्नी सीताराम हि0 7/120 जाति माली सा0देह खातेदार राहिन हि0 1/24 पीएनबी शाखा खवारानीजी।	123 169 341 385	0.23 0.29 1.86 0.51	चाही 1 बारानी 1 चाही 1 चाही 3	—
योग	किता 4	2.89	—	—

—: प्रस्तावित :—

प्रस्तावित	आराजी नम्बर	है0	किस्म	लगान
घासी पुत्र रेवड जाति माली सा0देह खातेदार	123/3 169/3 385/1 341/1	0.08 0.10 0.17 0.61	चाही 1 बारानी 1 चाही 3 चाही 1	—
योग	किता 4	0.96	—	—
रामू पुत्र रेवड जाति माली सा0देह खातेदार	123/2 169/2 385/2 341/2	0.07 0.10 0.17 0.61	चाही 1 बारानी 1 चाही 3 चाही 1	—
योग	किता 4	0.95	—	—
पांची देवी पत्नी सीताराम हि0 36/120, कानाराम पुत्र सीताराम हि0 21/120, रामकिशन पुत्र सीताराम हि0 21/120, कल्याण पुत्र सीताराम हि0 21/120, नाबा0 प्रहलाद पुत्र सीताराम नाबा0 सरक्षक माता पांची देवी पत्नी सीताराम हि0 21/120 जाति माली सा0देह खातेदार राहिन पीएनबी खवारानीजी।	123/1 169/1 385/3 341/3	0.08 0.09 0.17 0.61	चाही 1 बारानी 1 चाही 3 चाही 1	—
योग	किता 4	0.95	—	—

(3/3)

घासी पुत्र रेवड हि0 1/3 जाति माली विला रहन, रामू पुत्र रेवड हि0 1/3 जाति माली विला रहन, पांची देवी पत्नि सीताराम हि0 1/10, कानाराम पुत्र सीताराम हि0 7/120, रामकिशन पुत्र सीताराम हि0 7/120, कल्याण पुत्र सीताराम हि0 7/120, नाबा0 प्रहलाद पुत्र सीताराम नाबा0 संरक्षक पांची देवी पत्नी सीताराम हि0 7/120, जाति माली सा0देह खातेदार	341/4	0.03	गै.मु. रास्ता	—	
योग	किता 1	0.03	—	—	

उपरोक्त विभाजन अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अलग–अलग खाते दर्ज अंकित की जावे, साथ ही वादी एवं प्रतिवादीगण को हुक्म इक्तिनाइ दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वादी एवं प्रातिवादीगण के हिस्से मे आई आराजीयात में किसी प्रकार से कब्जे में दखल अंदाजी नहीं करें। नक्शा ट्रेस प्रमाणित किया गया। अन्तिम पर्चा डिक्री जारी है।

निर्णय आज दिनांक 17/01/2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ